

## प्रेस नोट

दिनांक 07.01.2025

**ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को० देहात की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा पीडित की फ्रॉड गयी 10,000/- रुपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीडित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवाद:-**

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना को० देहात की साइबर हेल्पडेस्क द्वारा पीडित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **10,000/-** (दस हजार रु०) पीडित के खाते में वापस करायी गयी।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

आवेदक रामजीत पटेल द्वारा फ़ाड कॉल पर विश्वास करके लालच में आकर रूपए ट्रांसफर कर दिया था। साइबर फ्रॉड ठगी के उपरान्त आवेदक द्वारा इसकी शिकायत थाना को० देहात हेल्प डेस्क एवं 1930 पर की गयी थी। जिसपर थाना को० देहात की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीडित के 10,000/- रु० की धनराशि वापस करायी गयी। पीडित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

### **साइबर सुरक्षा टिप्स-**

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

**मीडिया सेल, गोण्डा।**